

भाग - II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना / स्कीम का स्थान		80.902 हे.					
i	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	i	मध्यप्रदेश					
ii	जिला	ii	बैतूल					
iii	वन प्रभाग	iii	वन मण्डल का नाम उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल / परिक्षेत्र का नाम सारनी / वन खण्ड का नाम 15 बाकुड़, भोगईखापा, तवा छतरपुर / आवेदित वन क्षेत्र 80.902 हेक्टेयर है। (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :- (ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-					
			परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)		
			सारनी	15 बाकुड़	आर.एफ. 340	39.617		
					पी.एफ. 480	22.120		
					तवा छतरपुर	4.640		
					योग:-	66.377		
			(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि :-					
			परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मै)	
			सारनी (सा.)	घोड़ाडोगरी	शोभापुर	164 / 2	7.840	
						186 / 2	6.685	
						योग:-	14.525	
कुल योग:-	80.902							
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	iv	80.902 हे.					
v	वन की कानूनी स्थिति	v	आरक्षित / सीमांकित संरक्षित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र है।					
vi	वनो का घनत्व	vi	आवेदित वनक्षेत्र iv b श्रेणी का मिश्रित वन है, जिसका घनत्व 0.3 से 0.7 तक है।					
vii	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंवाई / विद्युत परियोजना के संबंध में एक आर.एल.एफ आर एल-2 मीटर और एक आर एल-4 मीटर पर भी वृक्षों की गणना संलग्न किया जाए।	vii	संलग्न है।					

viii	भू-संरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (वर्तमान भू-क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू-क्षरण बाबत)	viii	विपरीत प्रभाव संभावित नहीं है क्योंकि प्रकरण भूमिगत खनन से संबंधित है एवं कार्यान्वयन स्वीकृति का है।
ix	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	ix	अरक्षित / संरक्षित वनखंड की सीमा में।
x	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है? (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए।)	x	प्रस्तावित परियोजना में आवेदित वन क्षेत्र अरक्षित कक्ष क्रमांक - आर.एफ. - 340, संरक्षित कक्ष क्रमांक - पी - 480 एवं पी - 481 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग नहीं है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	xi	नहीं है।
xii	क्या कोई संरक्षित पुरातात्विक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षेप प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दे।	xii	नहीं है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता भूमिगत खनन पद्धति से कोयला उत्पादन के लिये बताई गई है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ?	9	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप निर्धारित प्रारूप में संक्षेपिका संलग्न है।

10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।			
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिधारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित (विगड) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू खंडों की संख्या, प्रत्येक भू खंड का आकार।	i	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जून 2004 की स्थिति में जारी अपडेटेड गार्डलार्इन के अध्याय-3 "वैकल्पिक वृक्षारोपण" की कड़िका क्रमांक- 3.2 (vii) (c) के निर्देशानुसार 03 मीटर से नीचे भूमिगत खनन के प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण से छुट प्रदान की है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से संक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र।	ii	तदैव
iii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेतर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाये को दर्शाता मैप (गैर वनभूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाइल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्टकॉपी) - 5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच = 1 मील) भी संलग्न किया जावे।	iii	तदैव
iv	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।	iv	तदैव
11	उप वन संरक्षक (वनमंडल अधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	संलग्न है।
12 विभाग/जिला प्रोफाईल			
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	i	10043.00 वर्ग कि.मी.
ii	जिले का वनक्षेत्र	ii	4048.843 वर्ग कि.मी.
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	iii	अभी तक कुल 50 प्रकरणों में 2211.781 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैरवार्निकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।

iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	iv	24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (गू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।																					
			<table><tr><td>अनु. क्र.</td><td>दुगने बिगड़े / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)</td><td>दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)</td><td>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)</td><td>दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</td><td>योग</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>155.314</td><td>2117.096</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>2272.41</td><td></td></tr></table>	अनु. क्र.	दुगने बिगड़े / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग		1	2	3	4	5	6		1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41	
अनु. क्र.	दुगने बिगड़े / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग																			
1	2	3	4	5	6																			
1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41																			
v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	v	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है।																					
			<table><tr><td>अनु. क्र.</td><td>दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)</td><td>दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)</td><td>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)</td><td>दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</td><td>योग</td><td>व्यय</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>106.928</td><td>1167.389</td><td>180.271</td><td>-</td><td>1454.588</td><td></td></tr></table>	अनु. क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय	1	2	3	4	5	6	7		106.928	1167.389	180.271	-	1454.588	
अनु. क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डसवरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मे)	दण्डसवरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय																		
1	2	3	4	5	6	7																		
	106.928	1167.389	180.271	-	1454.588																			
			टीप:- अभी तक इस वनमंडल के अंतर्गत 337.491 हे. में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राशि रुपये 29,31,222/- व्यय हुआ।																					
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत। नोट- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का व्यौरा दिया जावे।	13	1. आवेदित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक-आर.एफ.-340, पी.एफ.-480 एवं पी.एफ.-481 सतपुड़ा मेलघाट काशीखोर की सीमा से एवं पंचमही बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। 2. आवेदित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पूर्व ही कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित कर आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत खनन कार्य किया गया है एवं वर्ष-1980 के बाद भी भूमिगत खनन कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक/ एफ.नं.-2-1/2003 - 1 C (Part-4) दिनांक 06/07 दिसम्बर 2004 से जारी निर्देशों के अनुरूप दिनांक 25.10.1980 के पश्चात भूमिगत खनन जारी रहना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की परिधि में आता है। 3. आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में वैकल्पिक एवं दांडिक वृक्षारोपण की मांग अनुसार कुल राशि रुपये 25,54,62,766/- (पच्चीस करोड़ चौवन लाख बासठ हजार सात सौ छैसठ रुपये मात्र) आज दिनांक तक जमा नहीं की गयी है। वर्ष-2012 से आज दिनांक तक मंडगई में वृद्धि होने फलस्वरूप वैकल्पिक एवं दांडिक वृक्षारोपण हेतु आंकलित राशि में बढ़ोतरी होना अवश्यभावी है। 4. दंडात्मक नियमानुकूल प्रावधान रखते हुये आवेदक संस्थान को भूमिगत खनन की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।																					

तिथि :- 09/10/5/2017

तिथि :- 09/05/2017

स्थान :- बैतूल

रहमतेव Jha)
नाम साफ़ाई के लिए
D.F.O.
मोती (T) Betul
(सरकारी मोहर)

